Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 19, Issue No. 1, January-2022, ISSN 2230-7540

महिला सशक्तिकरण के प्रति उच्च माध्यमिक स्तर की छात्राओं की धारणा का अध्ययन

कविता सागर[1]*, डॉ. बिनय कुमार[2]

[1] शोधार्थी, मालवांचल यूनिवर्सिटी, इंदौर (म.प्र.)

[2] पर्यवेक्षक, मालवांचल यूनिवर्सिटी, इंदौर (म.प्र.)

सारांश - *"एक नारी को शिक्षित करने का अर्थ एक परिवार को शिक्षित करना है।" वर्तमान युग को वैचारिकता का युग कहा जा सकता है। अगर स्त्री या माता अथवा गृहिणी के संस्कार शिक्षा-दीक्षा आदि उत्तम नहीं होगी तो वह समाज और राष्ट्र को श्रेष्ठ सदस्य कैसे दे सकती है?, समाज के लिए स्त्री का स्वस्थ, खुशहाल, शिक्षित, समझदार, व्यवहार कुशल, बुद्धिमान होना जरूरी है और वह शिक्षा से ही सम्भव है। जब स्त्री की स्वयं की स्थिति सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक आदि दृष्टिकोणों से निम्न होगी तो वह परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे पायेंगी, यह प्रश्न अत्यन्त चिन्तशील है क्योंकि एक तो स्त्रियाँ स्वयं राष्ट्र की आधी से कम जनसंख्या है तथा दूसरा, बच्चे, युवा, प्रौढ़ और वृद्धजन उन पर अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहते हैं। महिला सशक्तिकरण एक समसामयिक मुद्दा है, चाहे जिस देश में एक सामाजिक योजनाकार एक सतत विकास लाने का प्रयास करता हो। हालांकि महिला सशक्तिकरण एक पर्याप्त शर्त नहीं है, फिर भी विकास प्रक्रिया की स्थिरता और स्थिरता के लिए यह अभी भी एक आवश्यक शर्त है। महिला सशक्तिकरण की विशेषता बताते हुए यह पेपर सशक्तिकरण का एक वैज्ञानिक उपाय प्राप्त करने का प्रयास करता है। सशक्तिकरण आज विकास संवाद में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। यह अवधारणाओं की सबसे अस्पष्ट और व्यापक रूप से व्याख्या की गई है, जो एक साथ विश्लेषण के लिए एक उपकरण बन गई है और विकास हस्तक्षेप को सही ठहराने के लिए एक छत्र अवधारणा भी बन गई है। कुछ लोगों के लिए, महिला सशक्तिकरण एक सक्रिय बहु-आयामी प्रक्रिया है जो महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी पूर्ण पहचान और शक्तियों का एहसास कराने में सक्षम बनाती है।*

मुख्यशब्द - *महिला सशक्तिकरण, उच्च माध्यमिक स्तर की छात्राऐ, माध्यमिक विद्यालय, राष्ट्रीय कार्यक्रम*

----------x----------

प्रस्तावना

"शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है। यह माना जाता है कि शिक्षा ही वह उपकरण है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी भूमिका की अनुभूति करा सकती है। शिक्षा के आधार पर महिला में दक्षता, कौशल, ज्ञान एवं क्षमताओं का विकास होता है। शिक्षित महिला न केवल स्वयं लाभान्वित होती है, वरन उससे भावी पीढ़ी भी लाभान्वित होती है। शिक्षा किसी भी प्रकार के कौशल की प्राप्ति एवं विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के विकास के लिए पूर्णतया आवश्यक है। महिला की शिक्षा से उसका शोषण रोकने में सहायता मिलेगी। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। शिक्षा का निर्णय लेने की क्षमता से धनात्मक एवं सार्थक सहसम्बन्ध है। न्यून शैक्षिक स्तर का सीधा प्रभाव है इस मानव पूजी (महिला) का निम्न स्तरीय विकास, कुशलता का निम्न स्तर तथा श्रम बाजार में न्यून भागीदारी। महिलाओं की वास्तविक स्थिति से व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है।" शिक्षा जीवन के दरवाजे की कुंजी है जिसका लक्ष्य ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाना तथा अज्ञानता रूपी अंधेरे को दूर करना है। मकोल व अन्य के अनुसार "किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति के लिए महिला शिक्षा को विशेष महत्व है। किसी भी शिक्षित समाज की वास्तविक स्थिति जानने का तरीका है कि हम यह जानने का प्रयास करें कि समाज में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति कैसी है, उनको क्या-क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं और उनकी मूलभूत संसाधनों तक कितनी पहुच है तथा राजनीतिक व सामाजिक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उनकी कितनी सहभागिता है? देखा जाय तो महिलाओं की शिक्षा विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है जिसने महिलाओं का स्तर और उनकी समाज में

www.ignited.in

भूमिका को उठाने में सहायता की है।'' शिक्षा किसी भी व्यक्ति के सुखद जीवन की मजबूत आधारशिला तैयार करती है। शिक्षा के द्वारा एक महिला असहाय व अबला से सषक्त और सबला बनती है। महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है महिलाओं में छिपी हुई उन शक्तियों, गुणों तथा प्रतिभाओं को विकसित करना, जिनको व्यवहार में लाकर व अपने विकास की ओर स्वयं कदम बढ़ा सके यह कार्य केवल शिक्षा के द्वारा ही सम्भव है। विश्व विकास रिपोर्ट 1993-99 स्पष्ट करती है कि महिला शिक्षा आर्थिक विकास में सहायक होने के साथ ही प्रजननता को कम करके, बच्चों के उचित पालन पोषण तथा माता-पिता एवं बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य में सहायक होती है। सामान्य तौर पर शिक्षा आर्थिक आत्मनिर्भरता में सहायक होती है। इससे महिलाओं का सामाजिक स्तर ऊपर उठता है तथा उनका सशक्तिकरण होता है। आर्थिक स्वायत्तता से निर्भरता एवं पुरूष प्रधानता तथा वर्चस्व ध्वस्त होने से न सिर्फ महिला व्यक्तिगत स्तर पर लाभान्वित होगी अपितु सामाजिक स्तर पर ऐसे परिवर्तन घटित होगें कि पुरूष प्रधान सामाजिक व्यवस्था छिन्न भिन्न होकर रह जायेगी और जगह एक नयी समाजवादी व्यवस्था उभर कर सामने आयेगी जिसमें महिला और पुरूष दोनों का समान महत्व होगा।

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन योजना

केन्द्र सरकार ने बालिका शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण को लेकर हाल में अनेक योजनाए शुरू की है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से निष्चित रूप से बालिकाओं को हौसला मिल रहा हैं। इसमें प्रमुख रूप से बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ योजना है जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। 100 करोड़ रूपये के शुरूआती कोश के साथ यह योजना शुरू में देशभर के सौ जिलों में शुरू की गयी। खासकर उन जिलों में जहाँ लिंगानुपात बेहद कम थ। बाद में इसका विस्तार 61 अन्य जिलों में भी किया गया है। इस योजना के तारतम्य में हर लड़की के लिए पैसे बचाने की और लघु बचत योजना सुकन्या समृद्धि अकांउट योजना शुरू की। बच्चियों को उच्च शिक्षा के लिए आवश्यकता होने पर धन की उपलब्धता जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण लक्ष्यों के साथ ही घरेलू बचत का प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह पहल की गयी। यह योजना माता पिता को अपनी लड़की की बेहतर शिक्षा और भविश्य के लिए पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ ही केन्द्र की ओर से शैक्षिक रूप से पिछड़े 3,479 उपखण्डों में दसवीं और बारवीं कक्षा की छात्राओं के लिए 100 बिस्तरों वाले छात्रावासों की स्थापना की है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की 14 से 18 साल की ऐसी बालिकाओं को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करना है जो खराब आर्थिक स्थिति के कारण बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। भारत सरकार की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय योजना का शुभ आरम्भ किया गया था। कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना की शुरूआत पहले दो वर्ष तक अलग योजना के रूप में सर्व शिक्षा अभियान, बालिकाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दिलाने का राष्ट्रीय कार्यक्रम व महिला सामख्या योजना के साथ सामंजस्य बिठाते हुए शुरू की गयी थी। बाद में इसे सर्वशिक्षा अभियान में एक अलग घटक के रूप में विलय कर दिया गया।

महिलाओं की स्थिति में हो रहे परिवर्तनों पर शिक्षा का प्रभाव

महिलाओं की परिवर्तित प्रस्थिति पर शिक्षा का किस प्रकार प्रभाव पड़ा है? सशक्तिकरण में शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण हैं। बिना शिक्षा के महिलाओं की प्रस्थिति में सकारात्मक परिवर्तन असम्भव है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता आयी है, वे अपने बारे में सोचने लगी है, उन्होने महसूस किया है कि घर से बाहर भी जीवन है, महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ है, उनके व्यक्तित्व में निखार आया है। महिलाएँ न केवल सामान्य शिक्षा, विश्वविद्यालय तथा कालेजों मे ही जा रही है बल्कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन रही है, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर रही हैं, वायु सेना और नौ सेना में अपनी सेवा प्रदान कर रही है।

महिला शिक्षा के मार्ग हो रही बाधाएँ शिक्षा के द्वारा ही महिलाओं का सशक्तिकरण सम्भव है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन मे यह समझने का प्रयास किया गया कि वे कौन-कौन सी बाधाएँ है जिनके कारण महिलाएँ शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। अध्ययन में पाया गया है लैंगिक भेदभाव, पारिवारिक परम्पराएँ, परदाप्रथा, बाल विवाह, निर्धनता, सामाजिक, आर्थिक पहलू, घर से विद्यालय की दूरी आदि महिला शिक्षा में प्रमुख बाधाएँ है। प्रस्तुत करना प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा मे आ रही विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए विभिन्न सुझाव प्रस्तुत करना है। शिक्षा के अभाव में महिला सशक्तिकरण असम्भव है। अतः उन बाधाओं को जो महिलाओं की शिक्षा प्राप्ति में बाधक हैं कैसे दूर किया जाये इस विषय पर अध्ययन मे प्रकाश डाला गया है। स्वतन्त्रता के बाद से केन्द्र और राज्य सरकारें विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से बिना किसी भेदभाव के सभी महिलाओं को शिक्षा की धारा में शामिल करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। वर्ष 2001 में समग्र साक्षरता दर 65.38 प्रतिशता थी तथा पुरूषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 75.85 प्रतिशत तथा 54.16 प्रतिशत थी। तथा 2011 में समग्र साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत थी तथा पुरूषों और महिलाओं की

साक्षरता दर क्रमशः 82.14 प्रतिशत तथा 65.46 प्रतिशत थी। यद्यपि पिछले दशकों से महिला साक्षरता में अधिकतम सुधार हुआ है फिर भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा भाग आज भी शिक्षा से वंचित है। महिला शिक्षा के मार्ग मे निम्नलिखित बाधाएँ हैं - भारत में शिक्षा में महिला और पुरूष के बीच भेदभाव देखने को मिलता है। स्कूलों में लड़कियों की अपेक्षा लड़के ज्यादा प्रवेष लेते हैं और एक निश्चित स्तर तक अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। लड़कियाँ घर पर अपनी माताओं का हाथ बटाती हैं, बाहर काम पर जाती हैं या अपने छोटे भाई बहनों की रक्षा करती हैं। विज्ञान और इंजीनियरी में लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक प्रवेश लेते हैं और लड़कियाँ निचले स्तर के पाठ्यक्रमों तथा कालेजों में जाती हैं विज्ञान, टैक्नोलोजी तथा इंजीनियरी शिक्षा के क्षेत्र में लड़के तथा लड़कियों के बीच असमान वितरण है, किंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि उनको अभिरूचियों में कोई अन्तर है। अभिभावक बेटियों की पढ़ा सकें। छोटी आयु में विवाह होने के कारण लड़कियों को पढ़ाई के अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। निर्धनता निर्धनता लड़कियों को शिक्षित होने के अवसरों में स्पष्ट रूप से बाधा डालती है। अध्ययन दर्शातें है कि निर्धन परिवारों में लड़कियाँ गृहकार्य पूरा करती है। छोटे बहन भाईयों की देखभाल करती हैं और कृषि कार्यो में अपने माता पिता का हाथ बटांती हैं। उनके पास विद्यालय जानें के लिए समय नहीं बचता। लड़कों के कार्य से भिन्न लड़कियों के कार्य को महिलाओं द्वारा किये जाने वाला कार्य समझा जाता है।

माता पिता की बेटे और बेटियों के समाजीकरण में भेदभाव की मनोवृत्ति दोनों को भूमिका और दायित्व निर्धारित करने में प्रकट होती है। दिल्ली के विशिष्ट विद्यालय में प्रवेश के इच्छुक अभिभावकों पर किये गये एक अध्ययन से पता लगता है कि उन्हे अपने बेटों और बेटियों से भिन्न-भिन्न अपेक्षाएँ होती है। बेटों से प्रायः घर से बाहर के कार्य करने के लिए कहा जाता है जबकि बेटियों से रसोई घर मे हाथ बटवाने की आषा की जाती है। माता पिता बेटे की पढ़ाई को भविश्य में अच्छे रोजगार अवसरों के लिए एक निवेश मानते हैं जिसके द्वारा उनकी वृद्धावस्था सुरक्षित हो जायेगी। बेटी की पढ़ाई पर इस तरह की बातों का ध्यान नहीं दिया जाता इसलिए उसे प्राथमिकता नही दी जाती। घर से विद्यालय की दूरी होने से अभी भी असंख्य बच्चें है जिनके लिए प्राथमिक विद्यालय तक पहुँचना आसान नहीं है। ये समस्या लड़कियों के मामले मे उच्चतर प्राथमिक स्तर पर और भी गम्भीर हो जाती है। सर्वेक्षण से पता लगता है कि केवल 37 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को निवास स्थान के नजदीक उच्चतर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है। इसमें से तीन किलोमीटर की सीमा में 48 प्रतिशत बच्चों को एक उच्चतर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है। 15 प्रतिशत आबादी 3 किलोमीटर से अधिक दूर है। जिन पांच राज्यों में प्रोब सर्वेक्षण हुआ था वहाँ पाया गया कि जिन गांवों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं वहाँ लड़कियाँ प्रायः कक्षा पांच के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। इसका कारण यह है कि माता पिता अपनी लड़कियों को पढ़ाई के लिए दूसरे गांवों में भेजना पसंद नहीं करते।

विद्यालय मे अध्यापिकाओं की उपस्थिति लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करने में एक निर्णायक निवेष के रूप में कार्य करती हैं उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जहाँ महिला साक्षरता दर कम है वहाँ अध्यापिकाओं का प्रतिशत भी बहुंत कम है। प्राथमिक स्तर में वहाँ क्रमशः 25.49 प्रतिशत और 19.84 प्रतिशत अध्यापिकाएँ है। यह केरल के विपरीत है जहाँ उच्चतम साक्षरता दर के साथ-साथ प्राथमिक स्तर पर अध्यापिकाओं का प्रतिशत भी उच्च है। प्रोबा सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के अनेक भागों में अभिभावक चाहते हैं कि उनकी बेटियों की पढ़ाई के लिए अध्यापिकाएँ होनी चाहिए। विद्यालयों द्वारा लड़कियों को अन्य बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए, जैसे लड़कियों के लिए अलग शौचालय। छठा अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण बताता है कि भारत मे केवल 5.12 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों तथा 17.17 प्रतिशत उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियो के लिए अलग शौचालय है। "हावर्ड विश्वविद्यालय विश्व आर्थिक मंच तथा लंदन बिजनेस स्कूल द्वारा किये गये सर्वेक्षण में दुनियाँ की 60 प्रतिशत जनसंख्या के आंकड़ों को शामिल किया गया। इस सर्वेक्षण मंे आर्थिक साझेदारी व अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं और पुरूषों के बीच अन्तर को मापने की कोशिष की गयी। इंडेक्स द्वारा जारी 115 देशों की सूची में दुनियाँ का एक भी ऐसा देश नहीं हैं जहाँ इन चारों क्षेत्रों में महिलाओं और पुरूषों में समानता है। सूची में महिला सशक्तिकरण के मामले मे स्वीडन पहले स्थान पर है, जबकि सऊदी अरब सबसे नीचे। अमेरिका को 22वां स्थान मिला है।

फिलीपींस दुनियाँ के उन पाँच देशों में से एक मात्र एशियाई देश है जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिला पुरूष असमानता को समाप्त किया है।" शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानता को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1996) ने स्पष्ट किया कि समानता का सम्मान करने के लिए शिक्षा जगत में व्याप्त लिंग भेद को समाप्त करना होगा। विश्व शिक्षा रिपोर्ट (1995) में स्पष्ट किया गया कि "दुनियाँ के निर्धन देशों में महिला एवं बालिकाएँ घर की चार दीवारी में बन्द है। अशिक्षित मॉ अशिक्षित बालिकाओं को जन्म देती है और उनकी शादी कम उम्र में कर दी जाती है। इससे गरीबी, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि तथा शिशु मृत्यु दर में वृद्धि का एक अनन्त चक्र प्रारम्भ होता है।"

www.ignited.in

भारत में महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा

महिलाओं के अधिकारों से संबंधित नीतियों में पिछले कुछ दशकों में सकारात्मक दिशा रही है, जिसमें केंद्र सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रगतिशील उपाय किए हैं। भारत सरकार (भारत सरकार) के पास लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए दो मुख्य निकाय हैं: महिला और बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला आयोग, जो महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। दोनों निकाय लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की कानूनी और सामाजिक नीतियों पर काम करते हैं। मंत्रालय ने ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर की सूक्ष्म-वित्त योजनाओं को व्यापक रूप से लागू किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने विधायी परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और राज्य स्तर पर शिकायत और जांच प्रकोष्ठों की स्थापना की है। शिकायत प्रकोष्ठों को लिंग आधारित हिंसा की शिकायतें प्राप्त होती हैं और उन्हें जांच करने, रेफरल और परामर्श प्रदान करने और अंततः ऐसे मामलों पर रिपोर्ट करने के लिए बाध्य किया जाता है। भारत में एक जीवंत महिला अधिकार आंदोलन के साथ, बेहतर कानूनों, प्रावधानों और कार्यान्वयन के लिए जवाबदेही की निरंतर मांग है। सबसे हालिया उदाहरणों में भारत के बलात्कार कानूनों में बदलाव शामिल है, जहां 2006 में वैवाहिक बलात्कार को मान्यता दी गई थी।

सबसे हालिया जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य सर्वेक्षण विश्लेषण के अनुसार, वर्तमान में विवाहित महिलाओं में से केवल 43% (15-49 वर्ष की आयु के बीच) कार्यरत हैं, क्योंकि महिला विधेयक भारतीय नेताओं में नेतृत्व की स्थिति में महिला राजनेताओं के बीच वर्ग और जाति की जनसांख्यिकी को भी महत्वपूर्ण रूप से बदल देगा। राजनीतिक संरचना। यह राज्य और राष्ट्रीय स्तर की सरकारों में प्रवेश करने के लिए निम्न वर्गों और जातियों (जो वर्तमान में स्थानीय स्तर के शासन तक ही सीमित हैं) की महिलाओं के लिए एक मार्ग तैयार करेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए मौजूदा आरक्षण के अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों में से एक तिहाई महिलाएं होनी चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सदस्यों को ओबीसी के बारे में व्यापक असहमति और ओबीसी आबादी पर मौजूदा आंकड़ों की कमी के कारण आरक्षण में शामिल नहीं किया गया है। बिल के खिलाफ दो मुख्य तर्क यह हैं कि इससे केवल कुलीन महिलाओं (विशेषकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में) को फायदा होगा और दलितों, अल्पसंख्यकों (विशेषकर मुस्लिम महिलाओं) के लिए आरक्षण होना चाहिए। और ओबीसी। हालांकि, बिल के समर्थक संसद में मौजूदा 33% महिला कोटे के भीतर कोटा बनाने से सहमत नहीं हैं, क्योंकि एससी और एसटी कोटा पहले से मौजूद है। विधेयक में कहा गया है कि सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी टिकट का एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित रखते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से ही अनिवार्य आरक्षण शामिल है। यह अनजाने में निचली जाति और वर्ग की महिलाओं के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में प्रवेश करने के लिए जगह बनाएगा। महिला विधेयक के पारित होने और लागू होने और मौजूदा लिंग, वर्ग और जातिगत बाधाओं पर इसके प्रभाव को अभी महसूस किया जाना बाकी है, लेकिन एक बात स्पष्ट है: भारत की राजनीति पहले से कहीं अधिक समान समावेश के करीब जा रही है।

आधुनिक काल के दौरान भारतीय महिला शिक्षा:

स्वतंत्रता के बाद महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। महिलाओं के कल्याण और उनकी शिक्षा के लिए कई समितियों और आयोगों की स्थापना की गई, अर्थात्

i. दुर्गाबाई देशमुख समिति 1958,

ii. हंसा मेहता समिति 1964,

iii. शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986।

पूरे देश में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए शैक्षिक सुविधाओं में काफी विस्तार हुआ है। विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष बल दिया जाता है। शिक्षा प्राप्त करने में महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं में भाग लेने के लिए असमानताओं को दूर करने और अवसर के समानकरण पर विशेष जोर दिया गया था। भारतीय महिलाओं में शिक्षा प्राप्त करने में मौजूद पूर्वाग्रहों और जटिलताओं को दूर करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए। आधुनिक काल में नारी शिक्षा एक क्रांति बन गई है। आज नारी शिक्षा के हर क्षेत्र में मौजूद है। ज्ञान विस्फोट ने उन्हें सार्वभौमिक बना दिया है। इस काल में नारी शिक्षा को पुरूषों के समान माना गया है। उनके लिए समान अवसर और सुविधाएं हैं। सरकारों की ओर से उन्हें और सुविधाएं दी गई हैं। तत्कालीन रेल मंत्री सुश्री ममता बनर्जी द्वारा लोकसभा में पेश किए गए रेल बजट 2000-2001 में लड़कियों के छात्रों को बारहवीं कक्षा तक अपने कॉलेजों और स्कूलों में जाने के लिए मुफ्त पास का प्रावधान है। सरकार गम्भीरता से बालिका शिक्षा को स्नातक स्तर तक मुक्त करने पर विचार कर रही है। इस काल में नारी शिक्षा अपने वैदिक काल की तुलना में बहुत आगे है।

महिला सशक्तिकरण न केवल महिलाओं के बल्कि पूरे परिवार और इस तरह एक राष्ट्र के विकास का एक उपकरण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, "लोगों को जगाने के लिए महिलाओं को ही जगाना होगा; एक बार जब वह चलती है, तो परिवार चलता है, गाँव चलता है और राष्ट्र चलता है। " शिक्षा महिलाओं को अधिक प्रभावी ढंग से सशक्त बनाती है जो लैंगिक असमानता को समाप्त करने, उनकी क्षमता विकसित करने, सामाजिक और आर्थिक लाभ बढ़ाने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने, शिक्षित और स्वस्थ बच्चे पैदा करने और प्रजनन और मृत्यु दर को कम करने में मदद करेगी। लोकतंत्र में निर्णय लेने, समाज के गतिशील परिवर्तन और आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को आकार देने में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, तब तक दुनिया के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। यह शिक्षा ही है जो महिलाओं को सशक्त बनाकर ऐसा कर सकती है। संवैधानिक गारंटियों, कानूनों के अधिनियमन, विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार के प्रयासों और संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों के बावजूद, भारत में महिलाओं की समान स्थिति अभी भी स्वतंत्रता के 68 वर्षों के बाद भी वांछित लक्ष्यों तक प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए शिक्षा का उपयोग महिलाओं को महिलाओं के शोषण और लापरवाही को कम करने के लिए संवैधानिक निर्देशों और विधायी प्रावधानों को समझने, साक्षरता के स्तर में लिंग अंतर को कम करने, मौजूदा सामाजिक समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और इसके लिए संघर्ष करने में मदद करने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में किया जा सकता है। बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति और समुदाय के कल्याण। शिक्षा महिलाओं को पुरुषों के साथ समान स्तर पर अपने अधिकारों का प्रयोग करने और राष्ट्रीय विकास में भाग लेने में सक्षम बनाती है। "शिक्षा महिला सशक्तिकरण का मील का पत्थर है क्योंकि यह उन्हें चुनौतियों का सामना करने, अपनी पारंपरिक भूमिका का सामना करने और अपना जीवन बदलने में सक्षम बनाती है।" 2020 तक एक विकसित देश महाशक्ति बनने का लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब भारत की महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में उनकी प्रभावी भागीदारी के लिए महिला शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है। एनपीई, 1986 में कहा गया है, "शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में किया जाएगा।

निष्कर्ष

महिलाओं की शिक्षा के प्रति उपेक्षा और भेदभाव को एक दिन में ही नहीं बदला जा सकता, लेकिन नागरिक समाज के सहयोग से सरकार की देशभर में शिक्षा स्तर को ऊँचा उठाने के लिए बडी सावधानी पूर्वक बनायी गयी योजनाओं से स्त्रियों का सशक्तिकरण अवश्य हो सकेगा। इसके लिए महिला शिक्षा मे आ रही विभिन्न बाधाओं को दूर करना होगा। महिलाओं को शैक्षिक रूप से और मजबूत करना होगा। शिक्षा में लैंगिंक भेदभाव को दूर करना चाहिए तथा बेटे और बेटी की शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। महिला शिक्षा के लिए स्कूलों की घर से भौगोलिक दूर का कम किया जाना चाहिए। जनता में महिला शिक्षा, के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्थानीय समाज सुधारकों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की प्रभावशाली भूमिका हो सकती है। इसलिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार को महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। आवासीय कन्या पाठशालाओं की अधिक से अधिक स्थापना की जानी चाहिए। सरकार को निर्धन पिछड़े तथा कमजोर वर्गों में बालिका शिक्षा के प्रति उत्साह जगाने के लिए आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में जहाँ महिलाएँ काम करती हैं बालगृहों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि लड़कियों को स्कूल छोड़कर अपने भाई बहनों की देखभाल के लिए अपनी पढ़ाई छोड़कर घर पर न रूकना पड़े। समाज में महिलाओं का स्थान पुरूषों के समान ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज महिला अबला नारी के रूप में सुदृढ़ होकर पुरूष से कदम से कदम मिलाने को प्रयासरत है और उपर्युक्त अध्ययन से तो यही निष्कर्ष निकलता है कि जैसे-जैसे महिलाओं का शिक्षा की ओर रूझान बढ़ा है अर्थात् वे शिक्षित हुई हैं, वैसे-वैसे वे सभी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में भी सुदृढ़ हुई है तथा आत्मनिर्भर बनी हैं। अतः महिला और पुरूष दोनों रथ के पहियों के समान है। यदि एक निर्बल और घटिया हुआ तो समाज का रथ निर्विघ्न आगे नहीं बढ़ सकता है। स्पष्ट है कि शिक्षित नारी का उभरता हुआ कदम क्या होगा, समय ही बतायेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. देवपुरा प्रतापभल, 'महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का महत्व' कुरूक्षेत्र अंक 5 मार्च 2006

2. मकोल नीलम, शर्मा संदीप, सामाजिक विकास में शिक्षित महिलाओं का योगदान, कुरूक्षेत्र सितम्बर 2006

3. लवानिया, एम.एम. (1989),''समाज शास्त्रीय अनुसंधान का तर्क एवं विधियाँ'', रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।

www.ignited.in

4. अंसारी, एम.ए. (2001), ''महिला और मानवाधिकार'', ज्योति प्रकाशन, जयपुर।

5. मिश्रा के.के. (1965), "'विकास का समाजशास्त्र'', वैशाली प्रकाशन, गोरखपुर।

6. श्रीवास्तव, सुधा रानी (1999), ''भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति'', कॉमनवेल्थस पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

7. जैन, प्रतिभा (1998), ''भारतीय स्त्री: सांस्कृतिक सन्दर्भ'', रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

8. तिवारी, आर.पी. (1999), ''भारतीय नारीः वर्तमान समस्याएँ एवं समाधान'', नई दिल्ली।

9. बघेला, डॉ. हेत सिंह (1999), ''शिक्षा मना ेविज्ञान'', विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा

10. कानिटकर मुकुल 'भारत में महिला शिक्षा, समाज व सरकार की भूमिका,' योजना सितम्बर 2016

11. व्यास डॉ0 मिनाक्षी, नारी चेतना और सा ामजिक विधान, रोशनी पब्लिकेशनस, कानपुर 2008

Corresponding Author

कविता सागर*

शोधार्थी, मालवांचल यूनिवर्सिटी, इंदौर (म.प्र.)

EMail - kavitasagar671@gmail.com